

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/10813

दिनांक:- 30/11/17

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, जयपुर के अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा के निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रशासनिक दृष्टि से कार्य व्यवस्था के तहत निम्न नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर पदस्थापन/लगाये जाते हैं-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्री मोहन लाल	स्वास्थ्य निरीक्षक	जयपुर	सांभरलेक
2	श्री नवल किशोर बबेरवाल	स्वास्थ्य निरीक्षक	जयपुर	अलवर
3	श्री लेखराज डाबोरिया	स्वास्थ्य निरीक्षक	जयपुर	चिडावा
4	श्री अशोक माथुर	स्वास्थ्य निरीक्षक	जयपुर	बहरोड
5	श्री मनमोहन	वरिष्ठ लिपिक	जयपुर	कोटपूतली
6	श्री महिपाल सिंह	वरिष्ठ लिपिक	जयपुर	जोबनेर
7	श्री अब्दूल खालिक	वरिष्ठ लिपिक	जयपुर	बांदीकूई
8	श्री गोपीवल्लभ जोशी	वरिष्ठ लिपिक	जयपुर	दौसा
9	श्री श्याम	कनिष्ठ लिपिक	जयपुर	किशनगढ़ रेनवाल
10	श्री शंकर लाल गुर्जर	टाईम कीपर (कनिष्ठ लिपिक)	जयपुर	जोधपुर
11	श्री प्रवीण सिंह	सर्वेयर	जयपुर	अजमेर
12	श्री गिरधारी लाल	गजधर	जयपुर	भरतपुर
13	श्री सुरेश	बेलदार	जयपुर	सीकर
14	श्री प्रकाश बेनीवाल	जमादार	जयपुर	झुंझुनू
15	श्री रामविलास	जमादार	जयपुर	भिवाडी
16	श्री किशोर कुमार	जमादार	जयपुर	सीकर
17	श्री विजय कुमार कासोटिया	जमादार	जयपुर	सीकर
18	श्री राजेश कुमार	जमादार	जयपुर	भिवाडी


उक्त कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से आज ही कार्यमुक्त कर तुरन्त पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के निर्देश देवे।

उक्त कर्मचारी तत्काल कार्यमुक्त होकर तुरन्त पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करे। अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

नोट:-


1. उक्त कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. उक्त कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।


3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका पदस्थापन नहीं माना जावे।


 (पवन अरोड़ा)
 निदेशक एवं संयुक्त
 शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/10814-64 दिनांक:- 30/11/17
 प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षै0) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/भरतपुर।
4. महापौर/आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/भरतपुर।
5. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिकाारी/नगर परिषद/पालिका.....।
6. श्री..... पद..... नगर पालिका.....।
7. सुरक्षित पत्रावली।

Pl. upload in
 Hsg website

 30/11/17


 (एम.जी. मीना)
 अति0 निदेशक